# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 36/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/64

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:-

1. मंडार अवचार पिता हरिश औचार निवासी नई आबादी, चोपासंग,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(ऋणी)
2. हरिशचन्द्र पिता रामेश्वर निवासी 263 नई आबादी, चोपासंग,तहसील गढी, जिला बांसवाडा (सहऋणी/बंधक कर्ता)
3. अलका देवी पत्नि हरिशचन्द्र निवासी 263 नईआबादी, चोपासंग,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(सहऋणी)
4. पोपटलाल पंचाल पिता रघुनाथ पंचाल निवासी वार्ड न. 10 गातरोड धामा, मंदिर के पास चोपासंग गढी जिला बांसवाडा (जमानती)

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 27.04.2022

ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर 1- मंडार अवचार पिता हरिश औचार निवासी नई आबादी, चोपासंग,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(ऋणी) 2- हरिशचन्द्र पिता रामेश्वर निवासी 263 नई आबादी, चोपासंग,तहसील गढी, जिला बांसवाडा (सहऋणी/बंधक कर्ता) 3 अलका देवी पत्नि हरिशचन्द्र निवासी 263 नईआबादी, चोपासंग,तहसील गढी, जिला बांसवाडा(सहऋणी) 4 पोपटलाल पंचाल पिता रघुनाथ पंचाल निवासी वार्ड न. 10 गातरोड धामा, मंदिर के पास चोपासंग गढी जिला बांसवाडा (जमानती), जिसमें अप्रार्थी सं. 1 व 3 को दिनांक 28.03.2016 को 700000 (सात लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतिक्रम अतिदेय होने पर दिनांक 11.12.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 24-06-2021 को कुल बकाया राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 16:21:57 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

566361 रू. (पॉच लाख छासठ हजार तीन सौ इकसठ रूपया) एवं तत्पश्चात व्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी सं. 2 ने ऋण राशि व उसके व्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया गया जिसके अन्तर्गत हरिशचन्द्र की सम्पत्ति जो मिसल नंबर 60, गॉव चोपासाग नई आबादी, खसरा नंबर 2584 तहसील गढी जिला बॉसवाडा में स्थित है जिसका माप 2400 स्क्वायर फीट है। जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व मे स्वयं की पडत जमीन, पश्चिम में आंगन व रामावतार, उत्तर में पडत जमीन और सडक एवं दक्षिण में स्वयं की कृषि भूमि स्थित है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-06-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थी को रु. 7,00,000 ऋण स्वीकृत किया गया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण की ओर से श्री हिरेन पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

दिनांक 27.04.2022 को अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता ने जवाब नही प्रस्तुत करने निवेदन किया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में धारा 13(4) सरफेसी एक्ट 2002 अन्तर्गत कार्यवाही न कर सिधे धारा 14 के तहत यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। जबकी प्रार्थी को प्रकरण में धारा 13(4) के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक था किन्तु पालना नही की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट निरस्त करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:21:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी सं. 1 से 3 को दिनांक 28.03.2016 को 700000 (सात लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11.12.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक 24-06-2021 को कुल बकाया राशि 566361 रू. (पॉच लाख छासठ हजार तीन सौ इकसठ रूपया) एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्च आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24-06-2021 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋण राशि जमा नही करवाई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 3 को दिनांक 28.03.2016 को 700000 (सात लाख रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की गई थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 11.12.2020 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था/बैंक को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:21:57 IST
Reason: SelfAttested